भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4228

उत्तर देने की तारीख : 12 दिसम्बर, 2016

21 अग्रहायण, 1938 (शक)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों हेतु लाभ

4228. डॉ. उदित राजः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों हेतु सीपीएफ को जीपीएफ और पेंशन योजना में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रस्ताव को लागू करने का है और यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय में गैर-शिक्षण स्टाफ और समूह क अधिकारियों को एमएसीपी योजना के लाभ प्राप्त हुए हैं जबकि शिक्षण स्टाफ, उप-प्राचार्यों और प्राचार्यों को एमएसीपी के लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं जबकि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी; और

(घ) सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 19 मई, 2009 के का.ज्ञा. सं.35034/3/2008-स्था.(घ) के जरिए केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम (एमएसीपी) शुरू की गई है। कर्मचारियों को यह संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम (एमएसीपी) प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है कि:-

I. उक्त स्वायत्त/ सांविधिक संगठनों द्वारा पूर्व एसीपी स्कीम भी कार्यान्वित/अपनाई गई थी।

II. एमएसीपी स्कीम को अपनाने का प्रस्ताव शासी निकाय/निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

III. प्रशासनिक मंत्रालय/ मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

IV. एमएसीपी स्कीम को अपनाने के वित्तीय निहितार्थों पर संगठन/निकाय द्वारा विचार किया गया है और अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ, मौजूदा बजट अनुदानों से ही पूरे किए जा सकते हैं।

चूंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रधानाचार्यों सहित इसके शिक्षण स्टाफ ने वर्ष 1999 में लागू की गई पूर्व एसीपी स्कीम को स्वीकार नहीं किया था, वे एमएसीपी स्कीम के लाभों के पात्र नहीं होंगे।

*****